संख्या: 345/38-7-2008

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2.समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी,उ0प्र0
3.समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ:दिनांक: 12 फरवरी, 2008

विषय: ग्राम सभाओं की बैठक सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में पारदर्शिता एवं सोशल आडिट का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों को सुनिश्चित करने में ग्राम सभाओं की खुली बैठक की निर्णायक भूमिका है परन्तु इस ओर पर्याप्त ध्यान न दिये जाने के कारण कार्यक्रम के संबंध में अनावश्यक शिकायतें प्राप्त होती हैं। ग्रामसभा की खुली बैठक होने पर शिकायतें कम होंगी एवं इनका समुचित निराकरण सम्भव हो सकेगा। इस कार्यक्रम की शुद्धता एवं पवित्रता को बनाये रखने के लिए यह अनिवार्य है कि अधिनियम की शब्द एवं भावना के अनुसार खुली बैठकों में वार्षिक योजनाओं पर सार्थक विचार-विमर्श हो एवं इन बैठकों में जाब कार्ड जारी करने, रोजगार देने, मस्टर रोल का परीक्षण करने तथा लेखों का जन-परीक्षण करने पर भी विचार किया जाये।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम सभाओं की खुली बैठक का आयोजन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गये हैं:-

(1) जिस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ग्रामसभा की खुली बैठक में भाग लिया जाये उससे एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा 50 प्रतिशत मामलों में इसकी पुष्टि स्थानीय लोगों से की जाए।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत सोशल आडिट के संबंध में प्रत्येक ग्राम सभा में वर्ष में दो बार 01 मार्च तथा 01 नवम्बर को सोशल आडिट फोरम की बैठक सम्पन्न करने के संबंध में शासनादेश संख्या-243/38-7-2006 दिनॉक 26.09.2006 द्वारा निर्देश दिये गये थे। उक्त बैठक अब माह अक्टूबर तथा अप्रैल में सम्पन्न करायी जाय। कृपया उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(3) इन खुली बैठकों की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाये तथा इन्हें डीवीडी/वीसीडी पर संकलित करके विकास खंड कार्यालय तथा सी.डी.ओ. कार्यालय में एक-एक कापी में रखी जाये।

कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।

संख्या-345 (1)/38-7-2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(आर. पी. सिंह)
अनुसचिव